कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र दिनांक–13.06.2017 एवं 15.06.2017 के द्वारा श्री भंवर लाल पंवार पुत्र श्री हीरालाल पंवार को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के पद चयनोपरान्त नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/ 2017 दिनांक–27.07.2017 द्वारा श्री भंवर लाल पंवार पुत्र हीरालाल पंवार का पदस्थापन राउमावि, रास्तापाल–सीमलवाडा, डूँगरपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर किया गया था। उक्त नियुक्ति आदेश में संस्था प्रधान को निर्देशित किया गया था कि संबंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। श्री भंवरलाल पंवार के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में नकारात्मक अंकन होने के कारण संस्था प्रधान द्वारा नियमानुसार कार्यग्रहण नहीं करवाया।

पुलिस अधीक्षक जिला जालौर के द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक– 04.08.2017 में श्री भंवर लाल पंवार पुत्र श्री हीरालाल के विरूद्ध निम्नलिखित अपराध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीबद्ध होना बताया है–

Sr.No.	FIR No./ Year	ACT Section	मान. न्यायालय निर्णय
1	122/2016	6 (RAJASTHAN PUB .EXAM.(USE OF UN FAIR MEEANS) ACT 1992), 3 (RAJASTHAN PUB.EXAM.(USE OF UNFAIRMEANS) ACT 1992), 420 (IPC 1860), 419 (IPC 1860), 120B (IPC 1860)	माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–4, जोधपुर के निर्णय दिनांक–11.04.2019 में दोषमुक्त किया गया

अभ्यर्थी के वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में दोषमुक्ति के आधार पर नियुक्ति की मांग के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक प.01(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 04.12.2019 में अंकित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली प्रशासन बनाम सुनील कुमार (1996(11)सीसी 605) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "राजकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्व आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति अर्थात वास्तविक परिणाम इतना सुसंगत नहीं है जितना कि अभ्यर्थी का आचरण व चरित्र"। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने या न दिए जाने के सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं जिस पद पर नियुक्ति दी जानी है उस पद के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय लेना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवतार सिंह बनाम भारत गणराज्य व अन्य (एसएलपी (सी) न. 4757/2018 एवं 24320/2014) में पारित निर्णय में "The Employer Shall take into consideration the government orders/instructions/rules, applicable to the employee, at the time of taking the decision. Where conviction has been recorded in case which is not trival in nature, employer may cancel candidature or terminate services of the employee. If acquittal had already been recorded in a case involving moral turpitude or offence of heinous/serious nature, on technical ground and it is not a case of clean acquittal. or benifit of reasonable doubt has been given, the employer may consider all relevant facts available as to antecedents, and may take appropriate decision as to the continuance of the employee. In a case where the employee has made declaration truthfully of a concluded criminal case, the employer still has the right to consider antecedents, and cannot be compelled to appoint the candidate."

अभ्यर्थी श्री भंवर लाल पंवार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की संगीन एवं संज्ञेय अपराध की धाराओ में दर्ज किए गए है। अभ्यर्थी श्री भंवर लाल पंवार के विरूद्ध दर्ज प्रकरण कार्मिक विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या 1 ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी

जानी चाहिए के उप बिन्दु (i) में वर्णित अपराधो के अन्तर्गत दर्ज है। माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें उक्त अंकित प्रकरणों में दोषमुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दोषमुक्ति के सम्बन्ध में विभाग स्तर पर गठित समिति जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित थे, द्वारा अभ्यर्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणो का समुचित परीक्षण किया गया।

विद्यालय में नियुक्त कार्मिक का कार्य विषय विशेष के शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ–साथ विद्यार्थी को उत्तम चरित्र एवं अनुशासन की शिक्षा देना भी होता है। विद्यार्थियों को विषय विशेष की शिक्षा के साथ उत्तम चरित्र की शिक्षा देने हेतु विद्यालय में नियुक्त कार्मिक का चरित्र भी उत्तम होना आवश्यक है। व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओ में दर्ज आपराधिक प्रकरण नैतिक अधमता "Moral turpitude" की श्रेणी में आने एवं विभाग स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित नहीं है। । अतः श्री भंवर लाल पंवार पुत्र श्री हीरालाल पंवार की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/पीएससी–15/भंवरलाल पंवार/2015/109 दिनांक – 06/10/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
2– सहायक विधि परामर्शी, विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग, राजस्थान जयपुर
3– जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
4– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5– संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग, उदयपुर
6– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) डूँगरपुर
7– सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8– अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग
9– प्रधानाचार्य, राउमावि, रास्तापाल–सीमलवाडा, डूँगरपुर
10–श्री भंवर लाल पंवार पुत्र श्री हीरालाल पंवार, स्थाई पता–हापू की ढाणी, बागोडा, जालौर
11–रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर